N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT P.S. (थाना): C.P.S Jaipur Year (वर्ष): 2024

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0151 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 25/07/2024 16:23 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): दरमियानी दिन Date From (दिनांक से): 20/07/2024 Date To (दिनांक तक): 23/07/2024

Time Period (समय अवधि): पहर Time From (समय से): 10:15 बजे Time To (समय तक): 15:05 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 25/07/2024 Time (समय): 15:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 001 Date & Time (दिनांक एवं समय) 25/07/2024 16:23:46 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): NORTH-WEST, 3.6 किमी Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABLE

(b) Address(पता): TONK ROAD, SMS STADIUM KE GAIT KE SAMNE

(c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S (थाना का नाम): District(State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** SAFI SIDDAKI

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** JAFAR SIDDAKI

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 2000 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	13 B, DELHI BYPAASS ROAD, GANESH VIHAR, DARBAR COLONY, JAIPUR (WEST), RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	13 B, DELHI BYPAASS ROAD, GANESH VIHAR, DARBAR COLONY, JAIPUR (WEST), RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	FOJENDRA SINGH		पिता:LATE. MALKHAN SINGH	1. KHARGPUR,SAIPAU,DHOLPUR

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		10,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 10,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

दिनांक 20.07.2024 को परिवादी श्री शफी सिद्दिकी पुत्र जफर सिद्दिकी निवासी 13बी, गणेश विहार, दरबार कोलोनी, अक्सा मस्जिद के पास, दिल्ली बाईपास रोड, जयपुर ने श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, विशेष अनुसंधान ईकाई, भ्रनिब्यूरो, जयपुर के समक्ष उपस्थित होकर एक लिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि ""सेवामें, श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधिक्षक, एस.आई.यू. ACB जयपुर, विषय - रिशवत लेते हुए रंगे हाथो पकडवाने हेतु, महोदय निवेदन है कि में शफी सिद्दिकी पुत्र जफर सिद्दिकी निवासी 13बी, गणेश विहार, दरबार कोलोनी, अक्सा मस्जिद के पास, दिल्ली बाईपास रोड, जयपुर 302001 का वर्तमान रहने वाला हूं, में अपनी लोडिंग गाडी बाहर कब्रिस्तान के पास खडी करता हूं तथा शाम को माल गाडी मे भरवाता हूं तो निगम हेरीटेज का कर्मचारी फोजी गुर्जर नाम का आकर मुझसे गाडी वहां पर खडी करने व हड्डी का माल खरीदकर गाडी में रखने के लिए महीने के 15000/- रूपय रिश्वत की मांग करता है, में उक्त कर्मचारी को श्वित नही देना चाहता हूं। रिश्वत लेते हुए रंगे होथो पकडवाना चाहता हूं मैं फोजी गुर्जर से कोई रंजीश नहीं है व ना ही कोई लेन देन बकाया हैं। प्रार्थी शफी सिद्दिकी पुत्र जफर सिद्दिकी, 13बी, गणेश नगर, दरबार कॉलोनी, अक्सा मस्जिद के पास, दिल्ली बाईपास रोड़, जयपुर-302001 मो0न0 दिनांक 20.07.2024," उक्त आशय की रिपोर्ट पेश करने पर श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा मन् निरीक्षक पुलिस को परिवादी की रिपोर्ट पर अग्रिम कार्यवाही करने हेतु पृष्ठांकित करने पर परिवादी श्री शफी सिद्दिकी से मजीद दरियाफत की गई। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तथा परिवादी से हुई मजीद दरियाफ्त से मामला लोकसेवक द्वारा रिश्वत मांग का पाया जाने पर तथा ट्रेप कार्यवाही से पूर्व सत्यापन करवाये जाने के सम्बंध में परिवादी को अवगत कराया गया। तत्पष्चात् कार्यालय हाजा में उपस्थित श्री रमजान कानि0 नं0 466 को तलब कर कार्यालय की आलमारी से विभागीय डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर तथा एक खाली (नया) मेमोरी कार्ड (32 जीबी सनडिस्क कम्पनी का) मंगवाया गया, तत्पश्चात परिवादी श्री शफी सिद्दिकी का कानि0 श्री रमजान कानि0 नं0 466 का आपस में परिचय करवाया जाकर मोबाईल नम्बर आदान प्रदान करवाये गये तथा परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से कानि0 श्री रमजान कानि0 नं0 466 को अवगत कराया गया। तत्पश्चात परिवादी को विभागीय डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर के संचालन की आवश्यक समझाईस कर उक्त डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर का खाली होना सुनिश्चित किया गया। तत्पश्चात उक्त डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में एक नया (32 जीबी सनडिस्क कम्पनी का) मेमोरी कार्ड लगाया गया, बाद उक्त डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर तथा मेमोरी कार्ड दोनों को परिवादी के समक्ष खाली होना सुनिश्चित कर परिवादी तथा कानि0 दोनों को दिखाया गया। जिस पर परिवादी ने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि आज उसने मुझे नगर निगम हैरिटेज के कार्यालय में मिलने के लिए बुलाया है, मैं आज उसके कार्यालय में जाउंगा तो वह अवश्य ही 15000 रूपये की रिश्वत की मांग करेगा। जिस पर विभागीय डिजीटल वाईस रिकॉर्डर कानि0 रमजान को सुपुर्द कर हिदायत की गई कि परिवादी के साथ जाकर रिश्वत मांग सत्यापन की नियमानुसार कार्यवाही करवायें। तत्पष्चात गोपनीय सत्यापन के दौरान हुई वार्ता के सम्बंध में परिवादी ने मन् निरीक्षक पुलिस को अवगत कराया कि मैं श्री रमजान जी के साथ नगर निगम हैरिटेज के ऑफिस के पास पहुचां जंहा पर मैंने मेरे मोबाईल से न0 से संदिग्ध से उसके मोबाईल न0 पर वार्ता की तो संदिग्ध ने मुझे बताया कि बाहर दो कुलर लगे हुए हैं जंहा पर धरना प्रदर्शन चल रहा हैं उसके पास स्थित कमरा न0 137 में आ जाओ जिस पर श्री रमजान जी ने मुझे डिजीटल वाईस रिकॉर्डर चालू कर मुझे दिया तत्पश्चात में कमरा न0 137 में के अन्दर गया तो वहां पर धरना प्रदर्शन की ज्यादा आवाज आने की वजह से सुनाई नहीं देने पर मैं फोजी गुर्जर को कमरे के बाहर लेकर आ गया। वार्ता के दौरान संदिग्ध फौजी गुर्जर ने मुझसे गाडी खडी करने व काम धन्धा करने की एवज में 10,000 रूपये की मांग की हैं तथा हर महिने 10,000 रूपये मासिक रिश्वत के रूप में देने की मांग की हैं। परिवादी ने यह भी बताया कि संदिग्ध ने अपने आपको नगर निगम हैरिटेज में एस.आई. पद पर होना बताया हैं तथा उक्त रिश्वती राशि संदिग्ध फौजी गुर्जर द्वारा उपर भी देने की वार्ता हुई हैं, जो वाईस रिकार्डर में सेव हुई हैं। जिस पर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हुई वार्ता को सुनने पर तथा परिवादी द्वारा वार्ता के सम्बंध में बताने पर संदिग्ध कर्मचारी श्री फौजी गुर्जर द्वारा परिवादी को गाडी खडी करने व कार्य करने की एवज में 10,000 रूपये की रिश्वत की मांग करना पृथम दृष्ट्या पाया गया। दिनांक 22.07.2024 को परिवादी श्री शफी सिद्दिकी द्वारा जरिये दूरभाष संदिग्ध कर्मचारी द्वारा मांगी जाने वाली रिश्वत राशि की व्यवस्था होने के बारे में अवगत कराये जाने पर दिनांक 23.07.2024 को प्रातः

कार्यालय में उपस्थित आने की हिदायत की गई। अग्रिम कार्यवाही हेतु स्वतंत्र गवाहान श्री दीपक देवाना पुत्र श्री प्रभूलाल मीणा, जाति- मीणा, उम्र-25 साल, निवासी- गांव-डिन्डोल, तहसील बस्सी, जयपुर हाल- किरायेदार- 3 एमबी-2, इंदिरा गांधी नगर जगतपुरा जयपुर हाल- कनिष्ठ सहायक, कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी जयपुर ग्रामीण, मो0न0 तथा दूसरे ने अपना नाम श्री अशोक कुमार खांडेकर पुत्र श्री बंशीलाल जाति- रैगर, उम्र- 44 साल, निवासी- प्लाट न0- 1, संत श्री रविदास कॉलोनी, ग्राम-निंदड, जयपुर हाल- सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी (अभियोजन), जयपुर उपस्थित आये। जिनको दिनांक 23.07.2024 को प्रातः कार्यालय में उपस्थित आने की हिदायत की गई। दिनांक 23.07.2024 को परिवादी एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान तलबिदा कार्यालय में उपस्थित आये। जिस पर स्वतंत्र गवाहान को गोपनीय ट्रेप कार्यवाही के आयोजन के बारे में अवगत कराकर गोपनीय कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह के तौर पर उपस्थित रहने बाबत सहमति चाही गई तो दोनों ही स्वतंत्र गवाहान ने स्वेच्छा से अपनी-अपनी सहमति प्रदान की। जिस पर दोनों स्वतत्र गवाहान का उपस्थित परिवादी श्री शफी सिद्दिकी से परिचय करवाया गया तथा उनके द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट को दिखाया तथा पढाया गया। तत्पश्चात दोनों गवाहान से परिवादी की रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करवाये गये। डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिष्वत मांग सत्यापन के दौरान रिकॉर्ड वार्ता को कम्प्यूटर की सहायता से चलाकर दोनों गवाहान को सरसरी तौर पर चलाकर सुनाया गया। तत्पश्चात् परिवादी श्री शफी सिद्दिकी को स्वतंत्र गवाहन के समक्ष संदिग्ध आरोपी श्री फौजी गुर्जर को दी जाने वाली रिश्वत राशि के बारे में कहा गया तो परिवादी ने अपने पास से 500-500 रूपये के 20 नोट कुल 10,000/-(भारतीय चलन मुद्रा के) रूपये प्रस्तुत किये। परिवादी द्वारा प्रस्तुत उक्त नोटों के नम्बर फर्द में अंकित कर स्वतंत्र गवाहान से मिलान करवाया गया। कानि0 श्री कमलेष कुमार नं0 293 से कार्यालय की आलमारी में रखी हुई फिनॉफ्थलीन पावडर की शीशी मंगवाई जाकर उपस्थित स्वतंत्र गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यों के समक्ष परिवादी द्वारा प्रस्तुत संदिग्ध आरोपी को दी जाने वाली रिश्वत राशि 10,000/- रूपये के 20 नोटों (भारतीय चलन मुद्रा के) पर अच्छी तरह से फिनॉफ्थलीन पावडर लगवाया जाकर उपस्थितगणों को फर्द दृष्टान्त की कार्यवाही की आवश्यक समझाईस कर फर्द पेशकशी एवं दृष्टान्त फिनोफ्थलीन पावडर मूर्तिब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात् परिवादी की रिपोर्ट पर अग्रिम कार्यवाही करते हुये ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया जाकर परिवादी की कार न0 आरजे 18 यूबी 3837 से मन् पुलिस निरीक्षक, परिवादी श्री शफी सिद्दिकी, कानि0 रमजान न0 466, स्वतंत्र गवाह श्री अशोक कुमार खांडेकर व साथ ही श्री रघुवीरशरण शर्मा पुलिस निरीक्षक, को मय श्री दीपक देवाना स्वतंत्र गवाह, हैड कानि0 श्री अमित कुमार न0 139, श्री पन्नालाल कानि0 न0 09, श्री विनोद कानि0 न0 242, श्री रमजान कानि0 न0 466, श्री धर्मसिंह कानि0 249, महेद्र कानि0 372 चालक श्री सुरेन्द्र सिंह कानि0 616 के मय वाहन सरकारी आरजे 14 पीई 9166 फोर्स ट्रेवलर मय लेपटॉप प्रिन्टर, पानी की बोतले व ट्रेपबॉक्स के ब्यूरो मुख्यालय से रवाना होकर नगर निगम हैरिटेज के कार्यालय के बाहर पहुचें तथा फोर्स ट्रेवलर गाडी में उपस्थित जाब्ते को नगर निगम हैरिटेज के कार्यालय से थोडी दूर खडा करवाया गया। इस समय परिवादी ने बताया कि नगर निगम हैरिटेज के कमरा न0 137 में फौजी गुर्जर ने मुझे बुलाया हैं, जिस पर परिवादी को संदिग्ध अधिकारी से मिलने तथा संदिग्ध अधिकारी द्वारा रिश्वत की मांग करने पर रिश्वत राशि सुपुर्द करने तथा मन् पुलिस निरीक्षक या श्री रमजान कानि0 के मोबाईल पर मिस्ड कॉल कर या सिर पर हाथ फेरकर ईशारा करने की हिदायत की गई तथा कानि0 रमजान के पास रखे विभागीय डिजीटल वाईस रिकॉर्डर के संचालन की विधि समझाईस की गई तथा कानि0 श्री रमजान, श्री पन्नालाल तथा स्वतंत्र गवाह श्री अशोक खांडेकर को परिवादी के इर्द-गिर्द रहते हुये अपनी उपस्थिति छुपाते हुये संदिग्ध अधिकारी तथा परिवादी के मध्य होने वाले रिष्वत राषि आदान-प्रदान को देखने तथा उनके मध्य होने वाली वार्ता को यथा सम्भव सुनने की हिदायत की गई। तत्पश्चात डिजीटल वाइॅस रिकार्डर कानि0 रमजान से समय 12.20 पी.एम पर चालू करवाकर परिवादी को सुपुर्द कर रिश्वती राशि के आदान प्रदान हेतु रवाना किया गया व मन् पुलिस निरीक्षक व हमराही जाब्ते ने अपनी उपस्थिति छुपाते हुए परिवादी के ईशारे के इन्तजार में मुकीम हुए। परिवादी मन् पुलिस निरीक्षक के पास उपस्थित आया और वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द किया जिसे बन्द किया जाकर अपने पास सुरक्षित रखा। तत्पश्चात परिवादी ने बताया कि मैं रवाना होकर कमरा न0 137 के अन्दर गया तो वहां पर फौजी गुर्जर नहीं मिला जिस पर आस-पास व बाहर की तरफ उसे देखा लेकिन उसके नहीं मिलने पर उसके मोबाईल नम्बर पर वाट्सएप कॉल की तो संदिग्ध ने 1 घंटे के अन्दर कार्यालय आने हेतु बताया हैं। उक्त वार्ता वाईस रिकॉर्डर में सेव हुई हैं, जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को चलाकर सरसरी तौर पर उक्त वार्ता को सुना गया तो वार्ता रिकॉर्ड होना व परिवादी द्वारा बताये हुए तथ्यों की ताईद हुई। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के आरोपी के बताये समय तक इन्तजार में आस पास मुकीम हुए। कुछ समय पष्चात परिवादी ने बताया कि कॉफी समय व्यतीत हो जाने पर भी संदिग्ध फौजी गुर्जर कार्यालय में नहीं आया हैं, मैं जब उससे दूरभाष पर वार्ता करूंगा तो वह मुझसे रिश्वत राशि के आदान प्रदान के संबंध में वार्ता करेगा जिस पर परिवादी को पुनः आवश्यक समझाईस कर परिवादी को आरोपी से होने वाली वार्ता रिकॉर्ड करने हेतु वाईस रिकॉर्डर चालू कर दिया गया, जिस पर परिवादी ने अपने मोबाईल से आरोपी के मोबाईल पर वाट्सएप कॉल किया जो संदिग्ध ने परिवादी को एसएमएस के पास आने के लिए कहा तत्पश्चात वॉईस रिकॉर्डर परिवादी से लिया जाकर बन्द किया गया तथा उक्त वार्ता डीवीआर में रिकॉर्ड होना सुनिश्चित की एवं मन् पुलिस निरीक्षक मय

हमराहियान के एसएमएस हेतु रवाना हुआ व अन्य जाब्ते को भी एसएमएस के पास पहुचंने की हिदायत कर रवाना किया गया। तत्पष्चात् मन् पुलिस निरीक्षक मय परिवादी मय स्वतंत्र गवाह अशोक कुमार खांडेकर के परिवादी की कार से रवाना होकर एसएमएस अस्पताल के पास जेएलएन मार्ग पर पहुंचा एवं कार को साईड में खडा करवाया तथा दूसरे सरकारी वाहन को भी कुछ दूरी पर खडा करवाया गया। तत्पश्चात परिवादी ने बताया कि संदिग्ध फौजी गुर्जर ने मुझे एसएमएस के पास बुलाया था अब संदिग्ध से पुनः फोन पर वार्ता करने पर संदिग्ध मुझे निश्चित स्थान पर बुला सकता हैं जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी को संदिग्ध से जरिये दूरभाष वार्ता करने डिजीटल वाईस रिकॉर्डर चालू कर परिवादी को सुपुर्द किया गया। परिवादी द्वारा संदिग्ध फौजी गुर्जर से वाट्सएप कॉल कर वार्ता की गई तो संदिग्ध द्वारा लालकोठी नगर निगम ग्रेटर के पीछे की साईड में आने के लिए कहा हैं, तत्पश्चात परिवादी ने वाईस रिकॉर्डर मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द किया जिसे बन्द किया गया एवं उक्त वार्ता की रिकॉर्डिंग डीवीआर में होना सुनिश्चित की गई। तत्पष्चात् मन् निरीक्षक पुलिस हमराहियान के साथ आरोपी के बताये स्थान नगर निगम ग्रेटर के कार्यालय के पास पहुचें जंहा पर सरकारी वाहन को रोड के साईड में खडा करवाया गया। चुंकि संदिग्ध द्वारा परिवादी को नगर निगम ग्रेटर के कार्यालय के पास बुलाया हैं अतः आरोपी के परिवादी से मिलने पर आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि प्राप्त किये जाने की पूर्ण संभावना के मध्यनजर अग्रिम कार्यवाही हेतु परिवादी को संदिग्ध अधिकारी से मिलकर अपने कार्य के सम्बंध मे वार्ता कर संदिग्ध अधिकारी द्वारा रिश्वत की मांग करने पर रिश्वत राशि सुपुर्द करने तथा मन् पुलिस निरीक्षक अथवा श्री रमजान कानि0 के मोबाईल पर मिस कॉल कर या सिर पर हाथ फेरकर ईशारा करने की हिदायत की गई। कानि0 श्री रमजान, श्री पन्नालाल तथा स्वतंत्र गवाह श्री अशोक खांडेकर व अन्य जाब्ते को परिवादी के इर्द-गिर्द रहते हुये अपनी उपस्थिति छुपाते हुये संदिग्ध अधिकारी तथा परिवादी के मध्य होने वाले रिष्वत राषि आदान-प्रदान को देखने तथा उनके मध्य होने वाली वार्ता को यथा सम्भव सुनने की हिदायत की गई। तत्पश्चात कानि0 रमजान से विभागीय डिजीटल वाईस रिकॉर्डर के संचालन की विधि परिवादी को समझाईस कर डिजीटल वाइॅस रिकार्डर कानि0 रमजान से चालू करवाकर परिवादी को समय 3.12 पी0एम0 पर सुपुर्द कर संदिग्ध कर्मचारी से मिलने के लिये रवाना किया गया। थोडी दूर जाकर परिवादी अपनी कार से रवाना होकर एस.एम. एस. स्टेडियम, जयपुर के गेट के सामने टोंक रोड़ पर पहुंचा। मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान जाब्ता भी पैदल-पैदल परिवादी के पीछे-पीछे रवाना हुये व टोंक रोड़ पर एस.एम.एस. गेट के आस-पास पहुंचकर अपनी उपस्थिति छुपाते हुये परिवादी पर नजर रखते हुये परिवादी के इंशारे के इंतजार में मुकीम हुये। तत्पश्चात् समय 3.17 पी.एम. पर परिवादी श्री शफी सिद्दिकी एस.एम.एस गेट के पास रोड पर खडे होकर परिवादी ने पूर्व निर्धारित ईशारा किया। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान जाब्ते एवं स्वतंत्र गवाहान के साथ परिवादी के पास पहुंचे, जहां परिवादी ने अपने पास से डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मन् निरीक्षक पुलिस को प्रस्तुत किया, जिसे बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा। तत्पश्चात् परिवादी ने अपने पास खडे० नौजवान की तरफ ईशारा कर बताया कि यही संदिग्ध श्री फौजी गुर्जर है, जो मेरी गाड़ी खडी करने व मेरा कार्य (बिजनैस) में रूकावट नहीं डालने की एवज में 10,000 रूपये प्रति माह के हिसाब से बधी की मांग कर रहा हैं व इस माह के 10,000 रूपये बतौर रिश्वत मेरे से अभी-अभी प्राप्त किये हैं, जिस पर आरोपी को स्वयं एवं हमराहीयान का परिचय देकर आने का प्रयोजन बताते हुये पूर्ण परिचय पूछा तो उसने अपना नाम श्री फौजेन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री मलखान सिंह, जाति- गुर्जर, उम्र- 30 वर्ष, निवासी- खरगपुर, तहसील- सैपउं, पुलिस थाना- कोलारी, जिला धौलपुर , सफाई कर्मचारी हाल- मीट चालान, नगर निगम हैरिटेज जयपुर होना बताया। तत्पश्चात् परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यों की पुश्टि के लिये सरकारी वाहन से ट्रेपबॉक्स, पानी की बोतल मंगवायी गई तथा ट्रेपबॉक्स में से दो कांच के गिलास निकलवाकर उन्हें पानी से भरकर एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डालकर घोल तैयार करवाया जाकर स्वतंत्र गवाहान को दिखाया गया तो घोल रंगहीन होना पाया गया। तत्पश्चात् आरोपी के दोनो हाथों को पृथक पृथक गिलास में बारी-बारी से डूबोकर धुलवाया गया तो भी घोल रगंहीन पाया गया। जिस पर मौके पर उपस्थित परिवादी श्री शफी सिद्दिकी ने मन् निरीक्षक पुलिस को अवगत कराया कि संदिग्ध श्री फोजी गुर्जर ने रिश्वत राशि को अपने हाथो में लेकर प्राप्त नहीं की है इसने मुझे रिश्वत राशि अपनी मोटरसाईकिल आरजे 11एसएल 6658 के बैग/डिग्गी में रखने के लिये कहा, जिस पर मैंने इसके कहे अनुसार रिश्वत राशि को इसकी मोटरसाईकिल की डिग्गी/बेग में रखी है। जिस पर परिवादी द्वारा बताई गई मोटरसाईकिल के बारे में आरोपी को पूछने पर आरोपी ने मोटरसाईकिल आरजे 11एसएल 6658 को स्वयं की होना बताया। जिस पर परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यों की पुष्टि हेतु स्वतंत्र गवाह श्री दीपक देवाना से आरोपी की मोटरसाईकिल की डिग्गी/बेग को खुलवाया गया तो 500-500 रूपये के नोट बरामद होना पाया गया। जिस पर स्वतंत्र गवाह श्री दीपक देवाना से उक्त राशि निकलवा कर चैक करवाकर स्वतंत्र गवाह से गिनवाया गया तो आरोपी की मोटरसाईकिल की डिग्गी/बेग से 500-500 रूपये के कुल 20 नोट होकर कुल 10,000/- रूपये बरामद हुये। जिनको दोनों स्वतंत्र गवाहान से चैक करवाकर उक्त नोटां के नम्बरो का मिलान फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट में अंकित नम्बरों से करवाया गया तो सभी नोटों के नम्बर हूबहू पाये गये। उक्त बरामदा रिश्वत राशि के नोटों के नम्बर फर्द में अंकित (फर्दानुसार) किये गये। तत्पश्चात आरोपी श्री फौजेन्द्र सिंह, सफाई कर्मचारी हाल- मीट चालान, नगर निगम हैरिटेज जयपुर की मोटरसाईकिल की डिग्गी/बेग से बरामदशुदा रिश्वती राशि 10,000/- रूपये सुरक्षार्थ स्वतंत्र गवाह श्री दीपक देवाना को सुपुर्द कर गवाह को रिश्वत राशि जेब में रखने की हिदायत की गई। गवाह

श्री दीपक देवाना के दोनों हाथों को साफ पानी से धुलवाया गया। तत्पश्चात् एक साफ कांच के गिलास में पानी भरकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर प्रक्रियानुसार मिश्रण तैयार कर उपस्थितगणों को दिखाया गया। मौके पर उपस्थित सभी ने उक्त मिश्रण को रंगहीन होना बताया। इसके बाद एक सफेद कपडे की चिन्दी ली जाकर स्वतंत्र गवाह श्री दीपक देवाना से आरोपी की मोटरसाईकिल की डिग्गी/बेग (जहां पर आरोपी ने उक्त रिश्वती राशि परिवादी से रखवाकर प्राप्त की है) का प्रक्रियानुसार धोवन लिया गया तो रंग परिवर्तित होकर गुलाबी हो गया। जिसे सभी उपस्थितगणो ने गुलाबी होना स्वीकार किया। गुलाबी घोल को दो साफ कांच की शिशियों में आधा-आधा भरकर कब्जा एसीबी लिया गया। उक्त रिश्वत राशि के संबंध में आरोपी श्री फौजेन्द्र सिंह, सफाई कर्मचारी हाल- मीट चालान, नगर निगम हैरिटेज जयपुर से पूछने पर बताया कि मैनें शफी सिद्दिकी से कोई राशि प्राप्त नहीं की हैं उसने स्वंय ने ही 10,000 रूपये मेरी मोटरसाईकिल की डिग्गी में रखे हैं। मैंने इनसे किसी राशि की मांग नहीं की हैं जिस पर मौके पर उपस्थित परिवादी श्री शफी सिद्दिकी ने मन् निरीक्षक पुलिस को बताया कि यह झूठ बोल रहे है, इन्होनें मुझसे मेरा वाहन ईदगाह के पास, कब्रिस्तान के पास खडी करने व मेरे कार्य/व्यवसाय में किसी प्रकार की रूकावट नहीं करने की एवज में इस माह के 10,000 रूपये अपनी मोटरसाईकिल की डिग्गी में रखवाकर प्राप्त किये हैं जिसकी रिकॉर्डिंग भी आप द्वारा मुझे दिये गये डीवीआर में रिकॉर्ड हुई हैं। अब तक की कार्यवाही की प्रावधानानुसार मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल से विडियों रिकॉर्डिंग बनायी गई जिसकी आईन्दा स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में नियमानुसार सीडिया तैयार की जायेगी। चुंकि आरोपी श्री फौजेन्द्र सिंह ने बताया हैं कि मैनें पैसे अपने हाथ में नहीं लिये हैं। मौके पर उपस्थित परिवादी ने भी अवगत कराया कि आरोपी द्वारा रिश्वत राशि अपने हाथ में लेकर प्राप्त नहीं की है इसने मुझे रिश्वत राशि अपनी मोटरसाईकिल की डिग्गी मे रखने के लिये कहने पर ही मैंने इसके कहेअनुसार रिश्वत राशि इसकी मोटरसाईकिल की डिग्गी में रखी है। आरोपी के दोनो हाथो के धोवन का रंग भी अपरिवर्तित रहा। उपरोक्त तथ्यों की पुष्टी हेतु डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को चालू कर सरसरी तौर पर सुना गया तो परिवादी व आरोपी के लेनदेन की वार्ता रिकॉर्ड होना पायी गई व उपरोक्त तथ्यों की पुष्टी होना पाया गया । अतः ऐसी सुरत में आरोपी के हाथों के धोवन को कब्जा एसीबी लिया जाने का कोई औचित्य नहीं होने से आरोपी के दोनो हाथों के धोवन को मौके पर ही फिकवाया गया। चुंकि मौके पर भीड़-भाड़ व लोगो की आवाजाही व मैन टोंक रोड़ होने की वजह से अग्रिम कार्यवाही मौके पर किया जाना संभव नहीं हैं। अब तक की गई कार्यवाही की फर्द विभागीय लेपटॉप में तैयार की गई व अब तक के हालात जरिये दूरभाष उच्चाधिकारियों को निवेदन किये गये। तत्पश्चात् उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार अग्रिम कार्यवाही ब्यूरो मुख्यालय पहुंचकर करने हेतु परिवादी को उसकी कार से एसीबी मुख्यालय पहुंचने की हिदायत कर रवाना किया गया। धोवन सेम्पलों एवं धोवन में प्रयुक्त चिन्दी को सुरक्षित ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया। स्वतंत्र गवाह श्री दीपक देवाना को आरोपी की मोटरसाईकिल को चलाकर ब्यूरो मुख्यालय लेकर जाने की मुनासिब हिदायत कर रवाना किया गया तथा मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान मय आरोपी, मय लेपटॉप प्रिन्टर, जब्तशुदा धोवन सेम्पलों व ट्रेप बॉक्स के समय करीब 4.00 पी.एम. पर रवाना होकर समय 4.20 पी.एम. पर एसीबी मुख्यालय पहुंचा, जहां पर परिवादी व दीपक देवाना स्वतंत्र गवाह मौजूद मिले। स्वतंत्र गवाह दीपक देवाना से आरोपी की मोटरसाईकिल ब्यूरो कार्यालय की पार्किंग में सुरक्षित खडी करवायी गई। जंहा पर स्वतंत्र गवाह श्री दीपक देवाना द्वारा अपने पास में रखी हुई रिश्वत राशि प्रस्तुत करने पर रिश्वती राशि को बतौर वजह सबूत सील चिट कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी प्रकार आरोपी की मोटरसाईकिल की डिग्गी /बैग के लिए गये धोवन की शिशियों को सीलचीट चस्पा कर मार्क MD-1, MD-2 अंकित किया जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया तथा धोवन के काम में ली गई चिन्दी को एक सफेद कपडे की थैली में रखकर थैली को सील्डमोहर कर मार्क- C अंकित किया जाकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। मोटरसाईकिल न0 आरजे 11 एसएल 6658 के बारे में आरोपी से पूछने पर उसने बताया कि मोटरसाईकिल मेरे मामा श्री देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री भवानी सिंह निवासी- खरगपुर जिला धौलपुर के नाम रजिस्टर्ड हैं जिसको मेरे मामा ने खरीदकर वर्ष 2018 में मुझे दी थी जिसको तब से लेकर आज तक मैं ही काम में ले रहा हूं जो प्रकरण में बतौर वजह सबूत होने से उक्त मोटरसाईकिल को बैग/डिग्गी सहित पृथक से जरिये फर्द बतौर वजह सबूत समय 5.00 पी.एम. पर जब्त कर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री फौजेन्द्र सिंह से रिश्वत राशि क संबंध में पुनः पूछने पर बताया कि मैनें श्री शफी सिद्दिकी से कोई रिश्वत राशि नहीं ली हैं, इसने ही मोटरसाईकिल की डिग्गी में रखी हैं, फिर स्वयं ने कहा कि मुझसे गलती हो गई। तत्पश्चात आरोपी को परिवादी द्वारा मोटरसाईकिल की डिग्गी में रिश्वत राशि रखने के समय इनकार नहीं किये जाने व घटनास्थल पर स्वयं की उपस्थिति के संबंध में पूछने पर बताया कि मेरे बुलाने पर शफी सिद्दिकी मेरे से वार्ता करने के लिए आये थे तब हमारे दोनो के मध्य वार्तालाप हुआ था, इन्हौनें जब मोटरसाईकिल की डिग्गी में पैसे रखे तब मैं इनको इनकार नहीं कर पाया यह मेरी गलती हो गई। तत्पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक के पास रखे डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को सरसरी रूप से चलाकर पुनः सुना गया तो उसमें लेन-देन वार्ता रिकॉर्ड होना पायी गई। जिसकी आईन्दा फर्द ट्रांसस्क्रिप्शन तैयार करने हेतु सुरक्षित कार्यालय की अलमारी में रखा गया। अब तक की कार्यवाही से आरोपी फौजेन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री मलखान सिंह, जाति- गुर्जर, उम्र- 30 वर्ष, निवासी- खरगपुर, तहसील- सैपउं, पुलिस थाना- कोलारी, जिला धौलपुर हाल- सफाई कर्मचारी हाल- मीट चालान, नगर निगम हैरिटेज जयपुर द्वारा परिवादी के वाहन को ईदगाह के पास खड़ा करने व परिवादी

के कार्य (मीट की दूकानो से हड्डियों को खरीदकर वाहन में भरने का) को बिना रूकावट करने देने की एवज में दिनांक 20.07.2024 को रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान 10,000/- रूपये प्रति माह मासिक बन्धी के हिसाब से मांग कर लेने पर सहमत होना व माह जूलाई 2024 की बंधी के तौर पर 10,000 रूपये की मांग कर, उक्त मांग के अनुसरण में आज दिनांक 23.07.2024 को परिवादी से 10,000/- रूपये अपनी मोटरसाईकिल की डिग्गी/बैग में रखवाकर बतौर अनुचित लाभ प्राप्त करना प्रमाणित पाया गया। इस प्रकार आरोपी फौजेन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री मलखान सिंह, जाति- गुर्जर, उम्र- 30 वर्ष, निवासी- खरगपुर, तहसील- सैपउं, पुलिस थाना- कोलारी, जिला धौलपुर हाल- सफाई कर्मचारी हाल- मीट चालान, नगर निगम हैरिटेज जयपुर द्वारा परिवादी के वाहन को ईदगाह के पास खड़ा करने व परिवादी के कार्य (मीट की दूकानो से हड्डियों को खरीदकर वाहन में भरने का) को बिना रूकावट करने देने की एवज में दिनांक 20.07.2024 को रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान 10,000/- रूपये प्रति माह मासिक बन्धी के हिसाब से मांग कर लेने पर सहमत होना व माह जूलाई 2024 की बंधी के तौर पर 10,000 रूपये की मांग कर, उक्त मांग के अनुसरण में आज दिनांक 23.07.2024 को परिवादी से 10,000/- रूपये बतौर अनुचित लाभ अपनी मोटरसाईकिल की डिग्गी/बैग में रखवाकर प्राप्त करना अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) में कारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने पर डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ताओ का एफएसएल से मिलान करवाये जाने हेतु आरोपी को अपनी आवाज का नमूना देने हेतु नोटिस दिया गया तो आरोपी ने स्वेच्छा से अपनी आवाज का नमूना देने से लिखित में इनकार किया। तत्पश्चात आरोपी को उसके जुर्म एवं संवैधानिक अधिकारों से आगाह कर रूबरू मौतबिरान के समक्ष जरिये फर्द गिरफ्तार किया जाकर फर्द गिरफ्तारी अलग से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री फौजेन्द्र गुर्जर को हमराहियान जाब्ते की निगरानी में सुपुर्द कर मन् पुलिस निरीक्षक मय परिवादी व स्वतंत्र. गवाहान मय वाहन प्राईवेट वाहन के ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर समय 6.30 पीएम पर घटनास्थल एसएमएस स्टेडियम, टोंक रोड पर पहुचां जहां पर परिवादी की निशादेही पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष घटनास्थल का निरीक्षण कर फर्द नक्शा एवं हालात मौका मुर्तिब किया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात घटनास्थल से हमराहियान से रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय पहुचां एवं फर्द हाथ धुलाई व बरामदगी का प्रिन्ट लिया जाकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया तत्पष्चात् डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड दिनांक 20.07.2024 की रिष्वत मांग सत्यापन वार्ता तथा दिनांक 23.07.2024 को रिष्वत राषि आदान-प्रदान से पूर्व मोबाईल फोन पर वाटसएप कॉल वार्ता तथा रिश्वत आदान -प्रदान के समय आमने-सामने परिवादी व आरोपी के मध्य हुई वार्ताओ की फर्द ट्रांसस्क्रिप्शन तैयार की जाकर सभी के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया तथा दोनों गवाहान व परिवादी के समक्ष रिश्वत मांग सत्यापन तथा रिश्वती लेन-देन के समय हुई वार्ता की कम्प्यूटर के जरिये पांच सीडियां तैयार कर मार्का अंकित कर सील्डमोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड को एक खाली माचिस की डिब्बी में रखकर माचिस की डिब्बी को सफेद कपडे की थेली में रखकर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर सील मोहर कर थैली पर मार्क अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पष्चात् रिश्वती राशि की बरामदगी के समय की मन्० पुलिस निरीक्षक के मोबाईल से विडियों रिकॉर्डिंग की गई थी, जिसकी परिवादी व स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन् निरीक्षक पुलिस के मोबाईल फोन को मोबाईल को विभागीय लेपटॉप से जोडकर उक्त विडियों रिकॉर्डिंग को पृथक पृथक 4 डिवीडीयां में बर्न किया जाकर अलग-अलग प्लास्टिक के कवर में रखकर अलग-अलग कपडे की थैलियों में रखकर सील मोहर की गयी। पैकेटों पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये व डीवीडी अनुसार कपडे के पैकेटों पर मार्क अंकित किये गये। तत्पश्चात परिवादी व स्वतंत्र गवाहान को मुनासिब हिदायत कर रूखसत किया गया। आरोपी से पूछताछ की जाकर पूछताछ नोट पृथक-पृथक से मूर्तिब किये जाकर शामिल पत्रावली किया गया। जब्तशुदा आर्टिकल्स को जमा मालखाना करवाकर रसीद प्राप्त की गई। अब तक की कार्यवाही से आरोपी फौजेन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री मलखान सिंह, जाति- गुर्जर, उम्र- 30 वर्ष, निवासी- खरगपुर, तहसील- सैपउं, पुलिस थाना- कोलारी, जिला धौलपुर हाल- सफाई कर्मचारी हाल- मीट चालान, नगर निगम हैरिटेज जयपुर द्वारा परिवादी के वाहन को ईदगाह के पास खड़ा करने व परिवादी के कार्य (मीट की दूकानो से हड्डियों को खरीदकर वाहन में भरने का) को बिना रूकावट करने देने की एवज में दिनांक 20.07.2024 को रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान 10,000/- रूपये प्रति माह मासिक बन्धी के हिसाब से मांग कर लेने पर सहमत होना व माह जूलाई 2024 की बंधी के तौर पर 10,000 रूपये की मांग कर, उक्त मांग के अनुसरण में दिनांक 23.07.2024 को परिवादी से 10,000/- रूपये बतौर अनुचित लाभ अपनी मोटरसाईकिल की डिग्गी/बैग में रखवाकर प्राप्त करना अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) में कारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया। अतः आरोपी श्री फौजेन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री मलखान सिंह, जाति- गुर्जर, उम्र- 30 वर्ष, निवासी- खरगपुर, तहसील- सैपउं, पुलिस थाना- कोलारी, जिला धौलपुर हाल- सफाई कर्मचारी हाल- मीट चालान, नगर निगम हैरिटेज जयपुर के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु मुख्यालय प्रेषित है। (सज्जन कुमार) निरीक्षक पुलिस विशेष अनुसंधान ईकाई भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर .....कार्यवाही पुलिस..... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री

सज्जन कुमार, निरीक्षक पुलिस विशेष अनुसंधान ईकाई भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री फौजेन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री मलखान सिंह, उम्र- 30 वर्ष, निवासी खरगपुर, तहसील सैपउं, पुलिस थाना कोलारी, जिला धौलपुर हाल सफाई कर्मचारी हाल मीट चालान, नगर निगम हैरिटेज जयपुर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियॉ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी श्री सुरेन्द्र पंचोली, पुलिस उप अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.आई.डब्लू जयपुर को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट 119 पर अंकित है। (विशनाराम) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.,जयपुर क्रमांक 789-92 दिनांक 25.07.2024 प्रतिलिपि:.सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1 विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर प्रथम । 2 आयुक्त नगर निगम हैरिटेज जयपुर। 3 उप महानिरीक्षक पुलिस मुख्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर । 4 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, विशेष अनुसंधान ईकाई भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.,जयपुर

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** SURENDRA PANCHOLI **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Vishanaram
Location: Rajasthan,IN
Date: 25/07/2024 16:

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Vishanaram
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

N.C.R.B/एन.सी.आर.बी

I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1994				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)